संख्या-28/2023/376711/2023/63-व0उ0-2023

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 28 अगस्त, 2023

विषयः- बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-963/ह0क0/बुनकर/बी0यो0-विकास अनु0/2023-24 दिनांक 26.07.2023 तथा पत्र संख्या-1137/ह0क0/बुनकर/बी0यो0-विकास अनु0/2023-24 दिनांक 14.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) निर्धारित लक्ष्य 2326 के सापेक्ष प्रति बुनकर रू0 198/- की दर से कुल राज्यांश तथा धनराशि रू0 4,60,548/- की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, ताकि केन्द्रांश धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर प्रदेश के बुनकरों का बीमा कराया जा सके।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में धनराशि रू0 15.00 लाख की व्यवस्था में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) हेतु धनराशि रू0 4,60,548/- (रू0 चार लाख, साठ हजार, पाँच सौ अड़तालित मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(2) आकड़ो की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृति की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृति धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 4,60,548/- (रू0 चार लाख, साठ हजार, पाँच सौ अड़तालित मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग-03-बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव

संख्या- 28/2023/376711/2023(1)/63-व0उ0-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in